# ITMS CHALLAN VERIFICATION SOP

**ICCC द्वारा लालबत्ती का उल्लंघन वाले वाहनों का चालान किया जाता है। जिनमे से कुछ वाहनों को छूट प्रदान की गई। जैसे कि:-**

**1. सरकारी वाहन:**

● जिन वाहनों पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार लिखा होता हैं या उनका प्रतीक चिन्ह होता हैं व जिन वाहनों के नंबर AG से शुरू होते हैं उन्हें वेरीफाई नहीं किया जाता, छोड़ दिया जाता हैं।

**2. पुलिस विभाग वाहन:**

● जिन वाहनों पर पुलिस लिखा होता हैं या उनका प्रतीक चिन्ह होता हैं एवं वाहनों पर व्यक्ति पुलिस वर्दी में हो अथवा उनके वाहनों पर उनकी कैप रखी हुई दिखाई देती हैं तो उन्हें वेरीफाई नहीं किया जाता, छोड़ दिया जाता हैं।

**3. आपातकालीन वाहन:**

● ऐसे वाहन जिन पर एम्बुलेंस एवं अग्निशमन लिखा होता हैं व अंतिम यात्रा वाले वाहनों को वेरीफाई नहीं किया जाता हैं, छोड़ दिया जाता हैं।

**4. बायीं दिशा की ओर जाने वाले वाहन:**

● ऐसे वाहन जो रेड लाइट सिग्नल से बायीं दिशा की ओर जाते हैं उन्हें वेरीफाई नहीं किया जाता हैं, छोड़ दिया जाता हैं।

**5. स्टॉप लाइन पे खड़े होने वाले वाहन:**

● ऐसे वाहन जो रेड लाइट सिंग्नल का उल्लंघन करके स्टॉप लाइन व ज़ेबरा क्रॉसिंग पर खड़े होते हैं उन्हें वेरीफाई नहीं किया जाता हैं, छोड़ दिया जाता हैं।

**6. विक्रत/ धुंधली नंबर प्लेट वाले वाहन:**

- जिन वाहनों पर नंबर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं व वाहन नंबर प्लेट पर वाहन नंबर का पूर्ण अंक नहीं होता है।
- किसी वाहन या उसके नंबर प्लेट पर कोई वृक्ष या उसकी पत्तियाँ आती है जिस कारण वाहन का नंबर स्पष्ट नहीं दिखता है तो, उन्हें वेरीफाई नहीं किया जाता, छोड़ दिया जाता हैं।

**7. बिना नंबर प्लेट वाले वाहन:**

- जिन वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं लगी होती हैं या नंबर प्लेट के स्थान पर कोई स्टीकर या वाहन नंबर के जगह कुछ और लिखा हो तो, उन्हें वेरीफाई नहीं किया जाता हैं, छोड़ दिया जाता हैं।

**8. तकनीकी समस्या वाले वाहन:**

- जिन वाहनों के एक ही फ्रेम में दो वाहनों के नंबर आ जाते हैं।
- वाहनों का पूर्ण चित्र न आने पर।
- एक ही वाहन की एक से अधिक बार प्रविष्टि आने पर।
- रेड लाइट सिंग्नल का उल्लंघन करने वाले वाहन पर लाल रंग से सही चिह्नित नहीं करता हैं, या किसी दूसरे वाहन पर लाल रंग से चिह्नित करता है या चिह्नित ही नहीं करता है।
- यदि वाहनों का सिंग्नल से निकलते समय हरा सिंग्नल या पीला सिंग्नल पर वाहनों की प्रविष्टिया आती है।
- यदि रेड लाइट सिंग्नल का उल्लंघन वाले वाहनों का बहुत कम समय (6 - 7 सेकंड) का वीडियो आता है।
- रेड लाइट सिंग्नल का उल्लंघन करने वाले वाहन का जब वीडियो प्ले नहीं होता एवं वीडियो साफ़ दिखाई न दे।
  - यदि रेड लाइट सिंग्नल पर वाहन गलत दिशा की ओर से आते है
  - यदि ट्रैफिक सिंग्नल अपने तय समय के अलावा किसी तकनीकी समस्या के कारण चालू हो जाते।
- यदि वाहनों के स्थान पर किसी व्यक्ति, साइकिल,पशु ,आदि को कैप्चर करता है,उन्हें वेरीफाई नहीं किया जाता, छोड़ दिया जाता हैं।

**9. अन्य श्रेणी:**

- जिन वाहन पर ऑन ड्यूटी झाँसी स्मार्ट सिटी एवं नगर निगम झाँसी लिखा हो।
- यदि वाहन विधायक, सांसद, मेयर व अन्य वी०आई०पी नेता के होते है, उन्हें वेरीफाई नहीं किया जाता, छोड़ दिया जाता हैं।

**10. एड-ऑन जोड़ने से संबंधित:**

- यदि कोई कार रेड लाइट सिंग्नल से निकलती है तो उसमे सीट बेल्ट का चालान ऐड नहीं करेंगे क्योकि रेड लाइट में वाहन का चित्र पीछे की ओर से आता है।
- यदि कोई कार रेड लाइट सिंग्नल से निकलती है तो उसमे हेलमेट का चालान नहीं करेंगे।
- यदि कोई टू-व्हीलर बिना हेलमेट के रेड लाइट सिग्नल से निकलता है तो उसका हेलमेट का एड-ऑन चालान जोड़ सकते हैं।
- यदि कोई टू-व्हीलर बिना हेलमेट के रेड लाइट सिग्नल से निकलता है तो उसका सीट बेल्ट का चालान नहीं करेंगे।

## ICCC द्वारा अत्यधिक गति से गुजरने वाले वाहनों का चालान किया जाता है। जिनमे से कुछ वाहनों को छूट प्रदान की गई। जैसे कि:-

**1. सरकारी वाहन:**

• जिन वाहनों पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार लिखा होता हैं या उनका प्रतीक चिन्ह होता हैं व जिन वाहनों के नंबर AG से शुरू होते हैं उन्हें वेरीफाई नहीं किया जाता, छोड़ दिया जाता हैं।

**2. पुलिस विभाग वाहन:**

• जिन वाहनों पर पुलिस लिखा होता हैं या उनका प्रतीक चिन्ह होता हैं एवं वाहनों पर व्यक्ति पुलिस वर्दी में हो अथवा उनके वाहनों पर उनकी कैप रखी हुई दिखाई देती हैं तो उन्हें वेरीफाई नहीं किया जाता, छोड़ दिया जाता हैं।

**3. आपातकालीन वाहन:**

•ऐसे वाहन जिन पर एम्बुलेंस एवं अग्निशमन लिखा होता हैं व अंतिम यात्रा वाले वाहनों को वेरीफाई नहीं किया जाता हैं, छोड़ दिया जाता हैं।

**4. विक्रत / धुंधली नंबर प्लेट वाले वाहन:**

जिन वाहनों पर नंबर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं व वाहन नंबर प्लेट पर वाहन नंबर का पूर्ण अंक नहीं होता है।

•किसी वाहन या उसके नंबर प्लेट पर कोई वृक्ष या उसकी पत्तियाँ आती है जिस कारण वाहन का नंबर स्पष्ट नहीं दिखता है तो, उन्हें वेरीफाई नहीं किया जाता, छोड़ दिया जाता हैं।

**5. बिना नंबर प्लेट वाले वाहन**:

• जिन वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं लगी होती हैं या नंबर प्लेट के स्थान पर कोई स्टीकर या वाहन नंबर के जगह कुछ और लिखा हो तो, उन्हें वेरीफाई नहीं किया जाता हैं, छोड़ दिया जाता हैं।

**6. तकनीकी समस्या वाले वाहन:**

- जिन वाहनों के एक ही फ्रेम में दो वाहनों के नंबर आ जाते हैं।
- वाहनों का पूर्ण  चित्र न आने पर।
- एक ही वाहन की एक से अधिक बार प्रविष्टि आने पर।
- यदि वाहनों के स्थान पर किसी व्यक्ति, साइकिल,पशु ,आदि को कैप्चर करता है, उन्हें वेरीफाई नहीं किया जाता है।
- यदि कोई रुके हुए वाहन को कैप्चर करता है, तो उन्हें वेरीफाई नहीं किया जाता हैं, छोड़ दिया जाता हैं।

**7. अन्य श्रेणी:**

- जिन वाहन पर ऑन ड्यूटी झाँसी स्मार्ट सिटी एवं नगर निगम झाँसी लिखा हो।
- यदि वाहन विधायक, सांसद, मेयर व अन्य वी०आई०पी नेता के होते है, उन्हें वेरीफाई नहीं किया जाता, छोड़ दिया जाता हैं।

**8. एड-ऑन जोड़ने से संबंधित:**

- यदि कार में सीट-बेल्ट स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही है तो कार में सीट-बेल्ट का चालान एड-ऑन नहीं करेंगे।
- यदि टू-व्हीलर में हेलमेट नहीं है तो हेलमेट का एड-ऑन कर सकते हैं।